DISTRICT HEALTH SOCIETY, GOPALGANJ

Sadar Hospital Campus, Gopalganj-841428

Phone No.: 06156–228158/59, E-mail Id : gopalganj.dhs4@gmail.com

आज दिनांक–30.12.2025 को समय 04:00 बजे पूर्वाहन में जिला पदाधिकारी महोदय गोपालगंज की अध्यक्षता में **District Indemnity Sub Committee** की बैठक आयोजित की गई।

बैठक का एजेण्डा :–

- श्रीमति प्रियंका देवी के बंध्याकरण के दौरान मृत्यु
- श्रीमति रीना देवी की असफल बंध्याकरण
- श्रीमति बिन्दु देवी की असफल बंध्याकरण

बैठक की कार्यवाही निम्नवत् है :–

- सर्व प्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्य की उपस्थिति पंजी में संधारित किया गया।
- **श्रीमति प्रियंका देवी के बंध्याकरण के दौरान मृत्यु** :– दिनांक–08.01.2024 को बंध्याकरण के दौरान श्रीमति प्रियंका देवी पति–अलख प्रसाद, ग्राम–बनकट, सरफरा–बरौली की मृत्यु हो गई थी, जिसकी सूचना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरौली के कार्यालय पत्रांक–356, दिनांक–14.06.2024 से उनके पति द्वारा किये गये दावा के साथ दी गई। कमिटि के सदस्यो द्वारा संलग्न दस्तावेज का सत्यापन किया गया, उपलब्ध कराये गये मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पति द्वारा दिये गये आवेदन के अनुसार प्रियंका देवी की मृत्यु बंध्याकरण के दौरान अचानक तबियत कराब होने पर उचित ईलाज हेतु सदर अस्पताल, गोपालगंज भेजे जाने के क्रम में हो गई। संबंधित संस्थान द्वारा रूपये पचास हजार का भुगतान किया जा चूका है। कमिटि द्वारा शेष राशि भुगतान करने की अनुशंसा की गई।
    - संस्थान का निर्गत पत्र
    - मृत्यु प्रमाण पत्र
    - आवेदन सह–सहमति पत्र
    - मृत्यु अंकेक्षण प्रपत्र
    - पंजीकरण प्रपत्र
- **श्रीमति रीना देवी की असफल बंध्याकरण** :– रामदुलारी कुँवर अनुमण्डलीय अस्पताल, हथुआ के कार्यालय पत्रांक–30, दिनांक–12.02.2024 से उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन का अवलोकन कमिटि के सदस्यो द्वारा किया गया जिसमें पाया गया कि आवेदिका श्रीमति रीना देवी के द्वारा अपना दावा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना के द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्गदर्शिका के अनुरूप 90 दिनों के बाद किया गया है। जिसके कारण उनका दावा कमिटि द्वारा अस्वीकृत किया गया।
- **श्रीमति बिन्दु देवी की असफल बंध्याकरण** :– श्रीमति बिन्दु देवी के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन का अवलोकन कमिटि के सदस्यो द्वारा किया गया जिसमें पाया गया कि आवेदिका श्रीमति बिन्दु देवी के द्वारा अपना दावा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना के द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्गदर्शिका के अनुरूप 90 दिनों के बाद किया गया है। उनके द्वारा अपना दावा 15 सप्ताह 6 दिनों के बाद किया गया, जिसके कारण उनका दावा कमिटि द्वारा अस्वीकृत किया गया।

ज्ञापांक 2801 / गोपालगंज, दिनांक 30-12-2025

डॉ अंकिता,
स्त्री रोग विशेषज्ञ, DH गोपालगंज।

डॉ अरूण कुमार अविनाश
सर्जन, गोपालगंज।

अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
गोपालगंज।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव,
जिला स्वास्थ्य समिति, गोपालगंज।

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।